प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः- 01.06.2021
महोबा पुलिस
सोशल मीडिया सेल

महोबकण्ठ पुलिस ने हार-जीत की बाजी लागकर जुआ खेल रहे 05 जुआरियों को किया गिरफ्तार

आज दिनाँक 01.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे जुआरियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थानाध्यक्ष महोबकण्ठ सुनील कुमार तिवारी द्वारा गठित टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर ताश पत्तो द्वारा हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 05 नफर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया । **जिनके कब्जे से मालफड़-5950-रु0 व जामा तलाशी-860-रु0 व 52 अदद ताश पत्ता बरामद किया गया ।** अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर **मु.अ.सं. 71/21 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत** कर विधिक कार्यवाही की गई ।

गिरफ्तारी जुआरियों का विवरणः-

(1) रवि कुमार पुत्र राम किशन अहिरवार उम्र करीब 32 वर्ष
(2) हजरत पुत्र गुलाब खाँ उम्र करीब 34 वर्ष
(3) हलीम खाँ पुत्र लखन उम्र करीब 28 वर्ष
(4) तुलसी पुत्र मोहन श्रीवास उम्र करीब 32 वर्ष
निवासीगण ग्राम पिपरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा ।
(5) जगदीश कुशवाहा पुत्र दशरथ कुशवाहा उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम रगौली थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर (म.प्र.)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुनील कुमार
2. कां. विकाश सरोज
3. कां. अंकेश यादव
4. कां. मो. इरफान
5. कां. अंकुश पाल

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 01.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

पुलिस अधीक्षक द्वारा पैदल गस्त करके जनपदवासियो से अनलॉक नियमो का पालन करने व कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत रहने की दी सलाह

आज दिनाँक 01.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा मय कोतवाली महोबा पुलिस फोर्स के साथ शहर के विभिन्न स्थानों पर पैदल गस्त कर दुकानदारो एवं जनपदवासियों से आज से शुरु हुई अनलॉक प्रक्रिया का पालन करने एवं कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत रहते हुए मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेन्सिंग आदि नियमों का पालन करते रहने की अपील की गई। पैदल गस्त के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा अनावश्यक रुप से घूम रहे/संदिग्ध लोगो से पूछताछ की गई एवं हिदायत दी गई। पैदल गस्त के दौरान एएसपी श्री आर0के0 गौतम, सीओ सिटी श्री रामप्रवेश राय मौजूद रहे। साथ ही समस्त थानो द्वारा भी पैदल गस्त के दौरान लोगो से उक्त नियमो का पालन करने की अपील की गई।

यातायात नियमो के उल्लंघन पर **36 ई-चालान व** कोविड-19 नियमो के उल्लंघन पर **15 व्यक्तियों से 1900/-रू0 शुल्क वसूला गया।**